

**फर्द अहकाम**

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला-जयपुर ग्रामीण)

रजौ इपल बनाम प्रखरनलाल वर्मा

मुकदमा नम्बर :- 178/12

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	14/10/24	<p>तमिली द्वारा भ्रान्त कण्डोलैस / कार्य विचारण पर तमिली पत्रावली मत आज्ञा नुसार दिनांक 31/11/24 को पेश हो।</p>	
	21/11/24	<p>व.प्र. उप.   वरदा न.र. हेतु अतिरिक्त प्रमाण प्रिया जाता है (आगामी-पेश) पर (31/10/24) से वरदा प्र. प्रमाण प्रमावली नं. 2308/24/24 के आधार पर निस्कारण कर प्रिया (पेश) प्रमावली दिनांक 28/11/24 को पेश है।</p>	
	28/11/24	<p>व.प्र. उप.   वरदा न.र. सुनी गयी। प्रमावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अन्तर्गत प्रिया गयी। वरदा पर कल प्रिया गयी। परन्तु ये इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24/11/24 अन्तर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी है। उक्त आदेश के तहत केवल मूल वाद क्लर्क प्रिया जानू अयोधित प्रतिल पेश है। तमिली पत्रावली के तहत वाद बहुलता न बने। अतः आदेश दिनांक 24/11/24 अन्तर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा के तहत केवल मूल वाद क्लर्क प्रिया जाता है। प्रमावली केवल सुनार वरदा तमिली गवर है। तमिली प्रिया दाखिल है।</p>	<p align="right">सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)</p>